

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश शासन

छठवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

फोन.0755-2551719, फेक्स 0755-2578844


ई मेल: dme12001@yahoo.com

D.N. 198 DME 415/16 dtc 28/9/2016

मध्य प्रदेश में नीवन निजी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों
के लिये आवश्यक सूचना

मध्य प्रदेश शासनलोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 10-5/2012सत्रह/मेडि- दो भोपाल दिनांक 22.09.2012 एवं मध्य प्रदेश राजपत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय मंत्रालय भोपाल दिनांक 29.06.2013 एवं "मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016" के तहत मध्य प्रदेश में नवीन निजी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के लिए लिए प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार/शनिवार को प्रातः 11.30 से 5.00 बजे तक इन्वेस्टर फेसिलिटेशन सेल में संपर्क कर सकते हैं ।

अतः इच्छुक निवेशकों से अनुरोध है कि वे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छठवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश में उपस्थित होकर अपने निवेश प्रस्ताव के बारे में विस्तृत विचार विमर्श हेतु आमंत्रित है ।


आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश